विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / संबद्धता / 2017 / 1198 दिनांक : 25/8/17

प्रति,

प्राचार्य,
कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)

विषय : सत्र 2017–18 का संबद्धता निरन्तरता शुल्क बाबत्।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक 761 / 2017, दिनांक 24.8.2017 एवं विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रं. 1132, दिनांक 16.8.2017,

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि, महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के सन्दर्भित अधिसूचना क्रं. 1132, दिनांक 16.8.2017 के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2017–18 का शेष संबद्धता शुल्क रू. 103400 / – रसीद क्रमांक 304 / 015192, दिनांक 6.7.2017 विश्वविद्यालय में जमा होना बताया गया है। महाविद्यालय द्वारा उक्त जमा शुल्क की पावती संबद्धता शाखा में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अधिसूचना में स्पष्ट है कि, यदि संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित राशि जमा करा दी गई है तो तत्संबंधी दस्तावेज 03 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर मान्य किया जाकर प्रकरण तत्काल निराकृत कर दिया जाएगा। आपके सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के लेखा विभाग से प्रति परीक्षण करवाने के उपरान्त राशि जमा प्रमाणित की जाकर शेष देय शुल्क का प्रकरण निराकृत किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / संबद्धता / 2017 / 1199 दिनांक : 25/8/17

प्रतिलिपिः–

1. उपकुलसचिव, परीक्षा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
2. सहायक कुलसचिव, लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
3. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04 प्रभारी, [illegible], को वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

05 प्रभारी [illegible] सेल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

उपकुलसचिव (अकादमिक)

106ACD2017